

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2026(GCMS 2026/5)
(RTI No. 212037484950356)

श्री निशान्त गुलेरी निवासी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर
98121-99511) Email Id -nishantguleri@gmail.com

तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

04.03.2026



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री निशान्त गुलेरी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2025 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री निशान्त गुलेरी को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया था जो No Such Person in the address अतः RTS की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी श्री निशान्त गुलेरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थी :

Land related details of a residential property which was originally allotted within the Pong Dam Oustees Colony to the outsee & owner of murabba no. 198/10, situated in 5K, panchayat 8K"B" tehsil Anupgarh, District Sri Ganganagar, Rajasthan
I categorically insist you to furnish me with the latest copies all relevant documents pertaining to this land parcel , including the following :

1. Land of the Registered Property Owner
2. Legitimate Title-Deed Papers
3. High-resolution site schematic plan, including dimensions & a clearly marked location of the residential land within the colony
4. Record/Evidence of the most recent land ownership transfer
5. Revenue records, namely:
 - a) Khasra
 - b) Khata
 - c) Khatauni
 - d) Khewat
 - e) Sajra
 - f) Jamabandi (Records of Rights)
 - g) Intkal (Mutation)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर




तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/2026/55 दिनांक 19.02.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 212041638389219 के द्वारा श्री निशांत गुलेरी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में जवाब प्रेषित कर दिया गया था।

श्रीमानजी चूंकि बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत आवेदक को सूचना से सम्बन्धित लिंक उपलब्ध करवाया गया। बिन्दु संख्या 2 से 4 तक 5(ए) से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड कार्यालय अभिलेखों में संधारित नहीं किया जाता हैं, अतः सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हैं बिन्दु संख्या 5(बी) से 5(एफ) तक की सूचना बिन्दु संख्या 1 में प्रदत्त लिंक पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। बिन्दु संख्या 5(जी) सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत आवेदक को सूचना से सम्बन्धित लिंक उपलब्ध करवाया गया।

श्रीमानजी सूचना पहले से वेबसाईट पर उपलब्ध होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत वेबसाईट पर लिंक दिया जाकर आवेदक को सूचित किया गया गया है। श्रीमानजी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नियमानुसार निर्धारित समयावधि में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त अपील निरस्त करने का श्रम करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(No. 14)
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर